नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

नगर निगम रायपुर क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2009 से निर्मित दुकानों के आबंटन हेतु नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशन कर आवेदन आमंत्रित कर आबंटन की कार्यवाही की जा रही है परंतु लगभग 100 दुकानें जिनमें औसतन 10 बार निविदा आमंत्रित किये जाने पश्चात दुकानें आबंटित नहीं हो पा रही है, रख-रखाव के अभाव में दुकानें जर्जर हो रही है एवं नगर निगम को आर्थिक हानि भी हो रही है। इसी प्रकार नगर निगम द्वारा पूर्व से लगभग 2000 दुकानों को लायसेंसी हक पर आबंटित किया गया है जिनके किराये की दर एवं नियमों का निर्धारण कई वर्षों पुराना है। किराया दर अत्यंत कम है।

दुकानों की नीलामी में लोगों का रूझान कम होने से नीलामी नहीं हो रही है। पूर्व में भी निगम में किराये से दी गयी दुकानों का किराया अत्यंत कम है जबकि यह किराया की दुकाने वर्तमान में शहर के घने व्यवसायिक क्षेत्र मे है एवं उन्हें रिक्त नहीं कराया जा सकता। ऐसी स्थिति में निगम हित में किराया नीति बनाये जाने हेतु एम.आई.सी. एवं सामान्य सभा में प्रस्तुत किया गया जिसमें शासन से नीति बनाने हेतु अभिमत के साथ प्रारूप पर सहमति दी गयी है । सामान्य सभा के संकल्प क्र-32 पारित दिनांक 22.08.2023 की प्रति के साथ संलग्न प्रारूप पर आवश्यक निर्णय लेकर नगर पालिक निगम रायपुर के लिए किराया नीति बनाये जाने हेतु शासन को प्रकरण प्रेषित किया गया है। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर पालिक निगम
रायपुर (छ.ग.)

घरों से निकलने वाले गीला और सूखा कचरे को सफाई (मित्र) वाहन को देवें